

[Mr. Deputy Chairman] he will be given permission to raise it regularly. Therefore, I will not allow any discussion on this. (*Interruptions*). Just a minute. I was allowing Mr. Kulkarni to say something else.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: I am speaking now

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have allowed you to speak not on Mr. Advani's motion, but on something else.

DR. BHAI MAHAVIR: Does it mean Sir, that we have no right to raise any issue? (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-CHAIRMAN: You give notice then.

DR. BHAI MAHAVIR: Does it mean that there is nothing for which a Member can have a right to make a submission? I am not referring to what Mr. Advani has raised.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all right, I will allow you, but *not* now. I will allow you after Mr. Kulkarni. (*Interruptions*). Unless you obey me, I will not allow you.

DR. BHAI MAHAVIR: All right, Sir.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : मेरा भी प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपसभापति : हाँ सब का प्वाइंट आफ आर्डर होना। प्वाइंट आफ आर्डर की क्या दिक्कत है।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Sir, I wish to draw the attention of the Leader of the House through you to one thing. I was a little unhappy over yesterday's discussion on the Assam Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That matter is over now. (*Interruptions*).

SHRI LAL K. ADVANI: It is over now?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is my interpretation that the matter is over now. Yes, Mr. Kulkarni.

Re Proceedings of the House on 25th August, 1981.

..SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra): Sir, I am only drawing the attention of the Leader of the House. The Leader of the House and the Minister for Parliamentary Affairs wanted the cooperation from the Opposition side and, yesterday, Sir, you had already ruled it out.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Come to the point.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: I wish to draw the attention of the Leader of the House to a very specific point. When the entire Opposition had walked out yesterday, excepting the DMK.. .

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): And the AIADMK also.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: You were also here? . I thought you were with us,

SHRI R. RAMAKRISHNAN: I was* here and I was there also; I was in both the places. (*Interruptions*).

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: So, the AIADMK is a Trishanku in politics. That is all right. We all *went* to the Chairman. But the Bill was passed here. This can be taken as, what you call, a parliamentary manipulation or whatever it is.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Bulldozing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Come to the point.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: With this type of co-operation from the other side, Sir, I would

[Shri Arvind Ganesh Kulkarni]

Only plead with you to try to understand us. We might be in a minority. But we were not opposing that Bill at all. Nothing would have happened and the heavens would not have fallen if your party had co-operated with us and allowed the House to adjourn yesterday and allowed the discussion to start today. We accepted the proposal of Mr. Kesri also. I am appealing to the Leader of the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all right. You have raised your point.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Sir, I am appealing to the Leader of the House and not to you. The Leader of the House is here. Henceforth, Sir, our cooperation should be taken as valuable for democratic functioning.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

SHRI PILOO MODY (Gujarat): And the Leader of the House should also, in the name of democracy, appeal to you not to help him.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): हम लोगों की बात सुन लें, फिर आप कहें।

श्री उपसभापति : इसी प्वाइंट पर कह रहे हैं जिस पर कुलकर्णी जी ने कहा है कि दूसरा प्वाइंट है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : इसी प्वाइंट पर कह रहा हूँ। मैं प्रणव जी से कह रहा हूँ विशेष तौर पर कि लॉर्ड आफ दी हाउस को विशेष जिम्मेदारी होती है कि वे सदन की मर्यादा को कायम रखें। डेमोक्रेसी में श्राम, विरोध पक्ष भी इफेक्टिव वे में काम कर सके इसकी भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पार्टी पर होती है। गवर्नमेंट पार्टी हमेशा इस बात को कोशिश करती रहेगी कि विरोध पक्ष वाक आउट कर जाये और बिल जो है, वे बाद में पास करें, तो यह कोई आपसे लिये
(व्यवधान)

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : यह हरिजाणा गवर्नमेंट का ही भाषा ...
(व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shahi, don't take much time. The point is clear.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: It is not clear and it is not a small thing.

समझते हैं, हमइसको बड़ी बात समझते हैं उपसभापति जी।

श्री उपसभापति : आप ही समझते हैं, दूसरे नहीं समझते हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आप क्षमा करेंगे, बिद आल रैस्पेक्ट टू द बर जं कृष्ण हुआ, वह बहुत ही (व्यवधान)

श्री उपसभापति : नहीं, यह तो ठीक है। देखिये शाही जी, आपकी राय है, सबको नहीं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं अपनी राय हाँ कहूँगा, आपकी नहीं कहूँगा। आपको जो राय थी, वह आपने कर दिया और आपने वेम्बर में यह भी कह दिया कि गवर्नमेंट पार्टी का प्रेशर था बिल पास करने के लिये।

श्री उपसभापति : यह मैंने नहीं कहा।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आपने यह कहा है। (व्यवधान)

श्री उपसभापति : गवर्नमेंट चाहती थी कि बिजनेस पूरा हो। आपका काम है उसे रोकना। आप काम रोकना चाहते हैं, वह काम चाहते हैं।

25th August, 1981

श्री नगेश्वर प्रताप शाही : मेरो दब्बास्त गवर्नमेंट पार्टी से है, लीडर आफ द हाऊस से है ... (व्यवधान)

श्री उपसमापति : शाही जी बात हो गई। आप बैठिये।

श्री नगेश्वर प्रताप शाही : कल जो घटना हुई, वह मर्यादा सदन की नहीं बढ़ाती है, बल्कि घटाती है।

श्री उपसमापति : यह सदस्यों के ऊपर है मर्यादा को चाहे तो घटाये या चाहे तो बढ़ाये।

श्री नगेश्वर प्रताप शाही : नेता सदन को इस बात का प्रयास करना चाहिये कि विरोध पक्ष का भी कोआपरेशन मिलता रहे और ऐसा महत्वपूर्ण बिल जैसा असम के संबंध में बिल है, वह इस तरीके से पास किया जाता जैसे कल किया गया। और श्रीमन्, आप तो जो कर रहे हैं वह कर हो रहे हैं।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केतरी) : डिप्टी चैयरमैन साहब, मैंने कल निवेदन किया था शाही जी से और विरोधी दल के नेताओं से, जिस समय आपने अपना अवजर्वेशन या रोलिंग दिना, उस के बाद जब इन लोगों ने कहा था मुझ से, कि सदन की कार्यवाही आज के दिन के लिये स्थगित कर दी जाये, तो मैंने उस समय इन लोगों से निवेदन किया था। मगर खुद ही विरोधी दल के सज्जनों ने, माननीय सदस्यों ने यह निर्णय लेकर जिस प्रकार वाक् आऊट कर दिया उसका मुझ पर बड़ा दुःखद असर पड़ा है। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मगर वह लोग न जाने

805 RS—6.

क्यों आवेश में आकर वाक् आऊट कर गये। मैंने कल भी कहा था, इस पर बहस होनी चाहिये, आप सब का कोआपरेशन होना चाहिये और आज पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि हम आप का कोआपरेशन हमेशा चाहते हैं।

श्री रामकृष्ण हैगडे (कर्नाटक) : क्या इस तरह से कोआपरेशन चाहते हैं जिस तरह आपने कल बिल को फिनिश किया है?

SHRI ARVIND GANESH KUL KARNI: The Leader is sitting silent. Yesterday, it was agreed that the discussion can be started and we shall finish it today. I agreed to withdraw the Calling Attention. The Secretary-General asked me and I said, 'Yes.' We went to the Chairman on a ticklish point of law. Why did you pass the Bill then?

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : Sir, with your permission I would like to mention just one point. Unfortunately, I was not present when it happened. When I came all the Members had left the Chamber. I was told that the Minister for Parliamentary Affairs had suggested that we could have some discussion. I think he suggested that the House should sit half an hour more and thereafter the rest of the discussion could take place the next day. The whole idea was not to pass the Bill. (Interruptions). This is what I was told by the Minister of Parliamentary Affairs. He suggested: Let the discussion continue so that it can spill over today and the other Members could also participate and could make their point. When I came, all of you had left. That is why I could not do anything. I do entirely agree. (Interruptions) Mr. Kalyanasudaram, it is no use. You can make out your point. I am making a point and suddenly you stand up.

SHRI M. KALYANASUNDARAM:
(Tamil Nadu): If that is so, after your coming
you could have adjourned the House.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE:
Adjournment is not within my power. You do
not have the minimum descency to allow me
to complete the sentence. I have admitted a
number of time that I have received the
maximum co-operation from the opposition.

On the last day of the last session, we sat
till late night and passed a number of Bills. It
could never have been possible without the
cooperation of all the opposition parties
concerned. I would try to accommodate your
views and it is not our intention that we will
simply hurry the Bills. Yesterday,
unfortunately some misunderstanding cropped
up. I am sorry for it. I always try to discuss
with the opposition members. If you would
not have walked out, even yesterday we could
have found out some solution so that larger
participation could be there on the discussion
on Assam.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is over
now. Let us proceed to the next item.

SHRI RAMAKRISHNA HEDGE:
Therefore, you should pay more attention and
be present here and not leave everything to
Kesri Ji.

SHRI M. KALYANASUNDA-
RAM: After hearing the Leader of the House,
I feel that he is blaming the opposition for the
walk-out. He must have realised the feeling of
the opposition on the constitutional point. If
they were so generous and sincere about the
cooperation of the opposition, what prevented
the ruling party to suggest that the House
could be adjourned till today. And the
Chairman also would have been present.

SHRI PRANAB KUMAR
MUKHERJEE: I am not blaming
anybody. What I wanted to say was

that nobody was available for discussion,
including you. That was my difficulty.

™SHRI M. KALYANASUNDARAM: On
your own, you should have suggested it. It
would have raised your prestige.

SHRI PILOO MODY: Sir, we accept what
the Leader of the House has said and we
accept his explanation also. And he is very
gracious to have apologised for it and We ac-
cept the apology also. But may I for future
reference only state that when an
understanding is arrived at, that understanding
must be adhered to even if there are certain
insurmountable difficulties? And there were
no insurmountable difficulties yesterday.
Instead of discussing for half an hour more,
we could have discussed it for 15 minutes and
you could have suggested yourself that the
House be adjourned till tomorrow. There was
nothing to stop you from saying that we will
discuss it tomorrow. In any case, it was past
the regular hours of the Rajya Sabha. So,
there was nothing to stop them from sticking
to the agreement as arrived at. If we walked
out, and I don't think we walked out, we went
to see the Chairman after telling the Govern-
ment that we are going to see the Chairman to
seek his clarifications. And, therefore, they
should have been doubly cautious to see that
they do not violate their understanding and
not merely depend only on your ruling, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There was
no ruling from me at that stage.

श्री राधेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) :
मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपसभापति : आप क्या कह रहे
हैं, बताइये। इस विषय पर मत कहिये
वह विषय खत्म हो गया।

श्री रामेश्वर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सरकारी पक्ष बार-बार कहता है कि अगोजीशन सहयोग करे। मैं सदन के नेता को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उन से सहयोग करने के लिये तैयार हूँ, लेकिन मैं भी उन से सहयोग की आशा करता हूँ। श्रीमन्, बार-बार सरकार कहती है कि

श्री उपसभापति : लोग खड़े हैं। देखिये, भाई जो, अपने दल के सदस्यों को देखिये, एक सदस्य बोल रहे हैं, दो साहब खड़े हैं (व्यवधान) सब बोलिये। This is not the proper procedure. When I have allowed one. Member, I expect the other Members to take their seats. q1^ gft \$fcgf\

श्री सीतापाम केसरी : डिप्टी चेयरमन साहब, आप इन को किस पर एलाउ कर रहे हैं।

श्री उपसभापति : इस लिये एलाउ कर रहा हूँ कि क्यों कि शोर मचा रहे हैं, नहीं तो और शोर मचायेंगे।

श्री शिव चन्द्र झा : (बिहार) मेरा भी प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री उपसभापति : सब से अफसोस की बात यह है कि जो सदन में ज्यादा शोर मचाते हैं, नियमों का धिरोध करते हैं और अनापचनाप कहते हैं यह अखबार वाले उस को छानते हैं और रेडियो पर भी प्रमुखता से जाता है इसलिये माननीय सदस्य बिकल है कि बह-कुछ कहे और अखबार और रेडियो में नाम आ जाय, और कुछ नहीं। इसलिये अगर यह कोअपरेट करें तो इन लोगों का बोलना बन्द हो जाये।

श्री हुसमदेव नारायण धाव (बिहार) : मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : मेरा भी प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री उपसभापति : आप को भी सुनना।

श्री रामेश्वर सिंह : जो आप ने रिमार्क दिया है, यह हम लोगों के साथ आप ने अच्छा वर्ताव नहीं किया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I have to comment because you are obstructing the proceedings.

SHRI PILOO MODY: This is the hang-over from yesterday's ruling. MR. DEPUTY CHAIRMAN: That has been over now.

श्री रामेश्वर सिंह : मैंने कहा है।

श्री उपसभापति : आप का प्वाइंट ऑफ आर्डर क्या है। Nothing will go on record unless you say on the point of order.

श्री राजेश्वर प्रतापसरकारी पक्ष कहता है कोअपरेट करो। मैं सरकार को आश्वासन देता हूँ।

श्री उपसभापति : आश्वासन हो गया दूसरी बात कहिये।

श्री रामेश्वर सिंह : सरकारी पक्ष ने अभी राज्यपाल की नियुक्ति के लिये ..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is no point of order. What he says will not go on record.

25th. August, 1981

[Mr. Deputy Chairman]

आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर की आइ में दूसरी कोई बात नहीं कह सकते। हाउस में जो कार्यवाही हो रही है वह नियमों के विरुद्ध हो रही है तो आप कह सकते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत कोई नयी बात नहीं कह सकते। आप ने गवर्नर की चर्चा की। वह पॉइंट नहीं है।

श्री राजेश्वर सिंह: आप ने कैसे समझ लिया किस गवर्नर की बात कर रहा हूँ?

श्री उपसभापति: चाहे जिस गवर्नर की बात कर रहे हो।

SHRI RAJENDRA SINGH ISHWAR SINGH (Madhya Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I wish only to put the record straight...

SHRI RAMESHWAR SINGH: Sir ..,

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing that Mr. Rameshwa, Singh will speak will go on record.

(Shri Rameshwar Singh continued to speak)

SHRI RAJENDRA SINGH ISHWAR SINGH: Sir, I only wish to get the record corrected. When the opposition walked out yesterday no mention was made that they were going to the house of the Chairman for the purpose of getting a ruling. It was absolutely clear that they were walking out. If they only wanted to go and take the Chairman's opinion, it was not necessary for each and every Member of that side to walk out. The walking out was deliberate and it was for the purpose of disrupting the proceedings of the House, hoping that the House will not take up the matter. (Interruptions).

SHRI DINSSH GOSWAMI

(Assam): Walking out is a legitimate weapon in the hands of the opposition.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dinesh Goswami, you have already expressed your view. Yes, Mr. Satya Pal Malik.

श्री सत्यपाल मलिक: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने कल आप की इजाजत से एक सन्निवेश किया था और उसके...

श्री उपसभापति: मेरी इजाजत नहीं थी आप ने व्यवस्था का नाम लेकर कुछ बातें कहीं थी। वह व्यवस्था के बाहर की बातें थी।

श्री सत्यपाल मलिक: मैंने सन्निवेश किया आप की इजाजत से और आप का प्रोटक्शन मांगा था और उसके पक्ष में जो तर्क थे वह रख दिये...

श्री उपसभापति: वह अखबार में छप गया है।

श्री सत्यपाल मलिक: लेकिन मैं व्यवस्था चाहता हूँ। जो मेरे तर्क थे... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह: यह क्या बात है? (व्यवधान)

श्री उपसभापति: आप बैठिये।

श्री रामेश्वर सिंह: आप इस तरह से धमकाना चाहते हैं। आप इस तरह से मामूली बात करते हैं? (व्यवधान) हमने पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस बहुत देखी है (व्यवधान) आप की खलिग जो हुई है (व्यवधान) अगर आप इस तरह की खलिग देंगे तो उसके प्रोटैस्ट में हम खड़े रहेंगे।

श्री उपसभापति: आप बैठिये।

श्री रामेश्वर सिंह: अखबार में नाम छपाने के लिये हम लोग यहां नहीं बोलते हैं।

आप खम्बार में नाम छपाने के लिये बैठे हुए हैं। हमने बहुत कुछ देखा है। (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप बैठिये।

श्री रामेश्वर सिंह : तुम्हें शर्म नहीं आती है इस तरह से व्यवस्था चलाते हो। (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप बैठिये।

श्री रामेश्वर सिंह : यह क्या व्यवस्था है? क्या हम खम्बार में नाम छपाने के लिये यहां बैठे हैं? (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing that Mr. Rameshwar Singh will speak will go on record. Mr. Satyal Pal Malik will go on record.

SHRI SYED SIBTE RAZI (Uttar Pradesh): Sir, on a point of order.

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra) : Sir, we have been seeing this day after day. Sir, we do not want anyone to be denied whatever his legitimate rights in this House are. We are here to debate, we are here to parley, and that is parliamentary democracy. But we have been watching with deep anguish for the last two or three days that anyone gets up on 'a point of order and comes out with whatever his grievance' is. Now, the question is that the scope of the point of order is very limited. It is either interpretation of a rule or the implementation of a rule and nothing beyond that. Therefore, Sir, I very humbly suggest that in order, to-put an end to this matter, because you are also right that they do get publicity, which may be their motive or which may not be their motive, if any matter not connected with a point of order- is raised on a point of order, it should be ruled that, nothing will

go on record, so that an end is put to this tendency of rising and getting up under the guise of a point of order and coming up with a grievance or saying something which they are not entitled to say in this House until they have had your permission. Therefore, anything spoken without your permission will not go on record and that is the only way you will be able to control.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I agree with you.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: The advice given by my friend, Mr. Salve, is very dangerous. That will only aggravate the relationship between the Deputy Chairman and the Opposition.

SHRI N. K. P. SALVE: Do you agree with the 'manner' in which the hon. Member is rebuking the Chair?

श्री एन० के० पी० साल्वे : जूता हमने नहीं मारा। वह जूता तो मतदाताओं ने मारा, हमने कहा जूता मारा? 1980 में जनता पार्टी को मतदाताओं ने जूता मारा। इसलिए वह यहां से वहां तशरीफ ले गये। (व्यवधान)

श्री जे० के० जैन (मध्य प्रदेश) : देश की जनता ने इनको जूता मारा है। इनको जूतों से बड़ा मोह है। (व्यवधान)

श्री एन० के० पी० साल्वे : श्रीमन्, सदन की कार्यवाही अनुशासन से नहीं चल रही है, नियमों के अन्तर्गत नहीं चल रही है और इसकी वजह होती है कि जो मनमाना प्वायंट आफ आर्डर के चाहा कह दिया, प्वायंट आफ आर्डर से उसका सरोकार नहीं तब भी वह बात कह दी जाती है। सदन की गरिमा और सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है क्योंकि चैंबरमैन के प्रति इस तरह की बात कही जाती है। नाराजगी प्रकट की जा

[श्री एन० के० पी० साल्वे]

सकती है, अपने तरीके से प्रकट की जा सकती है, आपसे इजाजत ले कर लेकिन अगर हर वक्ता यह बातें चर्चा नहीं करेगा तो कार्यवाही चला नहीं सकती। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रॉपर्ट आफ आर्डर उठाकर जो बातें कहीं जाती हैं उनको रोकिये और इफेक्टिवली इसको रोकिये जिस तरीके से आप चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री नरसिंह प्रसाद नन्द (उड़ीसा) : जिस तरह से अयोजिशन को स्टैंड-रोल किया गया और यहाँ काम बना लिया गया, साल्वे जो क्या आप एक्स्पेक्ट कर रहे हैं कोई रीजनेबलनेस की अयोजिशन से खुद अनरीजनेबल बनकर? (व्यवधान)

श्री एन० के० पी० साल्वे : मिस्टर नन्दा जो कुछ आप चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते थे जैसा हुआ (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : आपके जनरल सेक्रेटरी है। किसने आप बात करते हैं। (व्यवधान) क्या सिखाते हैं हमको? ... (व्यवधान)

श्री एन० के० पी० साल्वे : अब वक्ता किसने जूता निकाला इस तरह से ... (व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक : श्रीमान्, मेरा प्रॉपर्ट आफ आर्डर है। कायदे की बात यह है ...

श्री उपसभापति : पहले प्रॉपर्ट आफ आर्डर कहिये, कायदे की बात नहीं।

श्री सत्यपाल मलिक : मैंने आपकी इजाजत से, अदब के साथ आपकी प्रॉटेक्शन मांगी कि इनकाउंटर्स के बारे में जितने नियम हैं ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : यह प्रॉपर्ट आफ आर्डर नहीं है। मैं अलाऊ नहीं करता।

श्री सत्यपाल मलिक : आपने मेरे कबन को प्रॉसेसिंग से कैसे निकाला, यह मैं जानना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will see the proceedings.

श्री शिव चन्द्र झा : श्रीमान्, मेरा प्रॉपर्ट आफ आर्डर है। ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : कहिये, क्या प्रॉपर्ट आफ आर्डर है?

श्री शिव चन्द्र झा : क्लर्क आफ प्रोसीजर के रूल 231, 232, 233— concerning the amendments to the Bills which are discussed here.

इसमें लिखा हुआ है।

1 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no amendment, no Bills before the House. अब बिल लिया जाता है तभी यह बात कही जाती है।

श्री शिव चन्द्र झा : श्रीमान्, यहाँ पर आसाम के बारे में चर्चा हो गई है और उसके मुत्तलिक बातें भी उठाई गई हैं। जब आपने आसाम के बारे में निर्णय दिया तो तो आज उस पर विचार करने के लिए बात उठाई गई है। मैंने एक संशोधन दिया था कि उसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। जब उसके मुत्तलिक बहस होती है तो एमेन्डमेन्ट देने वाले को बोलने का मौका दिया जाता है (व्यवधान)

श्री सैय्यद सिद्दique रजी : जनाब, जब ये बोलते हैं तो हमारा बजट प्रेसर बढ़ा जाता है।

श्री शिव चन्द्र झा : यह एमेन्डमेन्ट सरकुलेट करके सब को दिया जाता है।

और उस पर बोलने का मौका दिया जाता है है। यह मैंने मूव कर दिया था। रूल 233 में कहा गया है कि—

"... Call upon any Member who has given notice of an amendment to give such explanation of the object of the amendment as would enable him to from a judgement upon it."

उसके बाद रूल कहता है कि हमको बोलने का मौका दिया जाना। आप मेरी बात सुन लेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। इस तरह से क्या आपने इन नियमों का उल्लंघन नहीं किया है? जो पार्लियामेन्टरी प्रॉसीजर है, उस पर आप गौर करें। आपने मुझे मौका नहीं दिया।

श्री उपसभापति : जब किसी बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का एमेन्डमेन्ट आता है तो सदन में बराबर यह परम्परा रही है कि माननीय सदस्य सेलेक्ट कमेटी को रेफर करने का एमेन्डमेन्ट मूव कर देते हैं और फिर बिल भी मूव हो जाता है। दोनों पर एक साथ विचार होता है। पार्टी काइज सदस्य बोलते हैं। जो माननीय सदस्य एमेन्डमेन्ट मूव करते हैं उसको लजिमी तौर पर बोलने का कोई स्पेशल मौका सदन में नहीं दिया जाता है। यही हमारी परम्परा रही है। यह सेशन में दे चुका हूँ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैंने उस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का एमेन्डमेन्ट दिया था।

श्री उपसभापति : ऐसे मौके जब आए तो आप इस प्रश्न को उठा सकते हैं। उस वक्त देखेंगे।

श्री शिव चन्द्र झा : यह आपने गलत जॉय दिया है

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : श्रीमान् मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सदन में जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं वे सब बराबर हैं। हम लोग जो पीछे की बैचें पर बैठे होते हैं उनको बहुत कम बोलने का मौका मिलता है। चाहेकालिग एटेंशन हो या स्पेशल मेशन हों इस सदन में हम यह देखते हैं कि कुछ सेलेक्टेड लोग ही बराबर बोलते रहते हैं।

श्री उपसभापति : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है (व्यवधान) मैं यह देख रहा हूँ कि हमारे कुछ सदस्य सदन में अनर्गल बातें कहते हैं परसों मैंने श्री यादव को स्पेशल मेशन का मौका दिया, श्री सत्य पाल मलिक को स्पेशल मेशन का मौका दिया। एक ही आदमी को रोज-रोज में अनुमति नहीं दे सकता हूँ। कुछ विशिष्ट माननीय सदस्य चेयर पर बराबर अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। धमकी देकर नाजायज दबाव डाल कर अगर वे कोई काम करना चाहें तो मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं यह करने वाला नहीं हूँ। मुझे इस सदन का विश्वास प्राप्त है। मैं नियमानुसार सदन को चलाऊंगा।

श्री रामेश्वर सिंह : हम लोग धमकी नहीं देते हैं (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN:
Nothing will go on record. Mr. Kulkarni please.

अगर आप अभियोग लगाने चाहते हैं तो सदन के सामने लाइये।

(श्री रामेश्वर सिंह बोलते रहे)

श्री उपसभापति : श्री रामेश्वर सिंह जी, आप बैठिये, अन्यथा मेरे विरुद्ध जो कहना चाहते हैं कहिये। जब तक मुझे सदन का विश्वास प्राप्त है, मैं नियमानुसार काम करता रहूंगा। चाहे आप जो करना चाहें, कीजिये (व्यवधान)।

श्री रामेश्वर सिंह : ... (बयबधान)
आपको हम से नफरत है। ... (बयबधान)

श्री उपसभापति : चाप बैठिये। मुझे
कोई नफरत नहीं है।

श्री रामेश्वर सिंह : मेरी शक्ल से आप
नफरत करते हैं।

श्री उपसभापति : मैं आपकी शक्ल
से तो मुहब्बत करता हूँ। लेकिन
(बयबधान)

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE:
I have got a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN; No, •no.
please sit down. Yes, Mr. Kul-karni.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE;
It is already 1 O'clock. Why not have lunch
from one to two? Everyday we are sitting
beyond 1 O'clock.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no.
Yes, Mr. Kulkarni.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: I
do not find the Minister of Education here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have
received a letter from the Minister concerned
that the subject that is covered in this Calling
Attention is being dealt with by Shri Buta
Singh. Therefore, he will reply to all the
points that will arise out of this Calling
Attention.

CALLING ATTENTION TO A MATTER
URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Progress made in the Preparations for the
Asian Games.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI:
(Maharashtra) Sir, I call the attention of the
Minister, of Education and Social Welfare to
the progress made in the preparation? for

the Asian Games in view of the reported
structural defects in the design of the cover
slab of the main Stadium as well as the '
swimming pool and the steps taken by
Government to streamline the functioning of
various agencies engaged in the-work.

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF SHIPPING AND
TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): Mr.
Deputy Chairman, Sir, 9th Asian games were
allotted to India in the year 1976 but on
account of the change of Government we
could not start preparing for the next Asiad to
be held in Delhi, in 1982!

It was again towards the end of 1980 that
the preparation for the 9th Asian games were
taken in hand in all seriousness. We are
engaged in completing the task in two years
which would have normally been completed
in four years.

The work, of construction of Stadia,
including the Swimming Pool, to be used for
Asian Games, 1982 is proceeding
satisfactorily and is expected to be completed
according to schedule.

The main Stadium at Lodhi Road will be an
open air stadium. There is, therefore, no
question of any defects in the design of its
'cover slab'.

There have been doubts about the roof
design of the Swimming Pool being
constructed in Talkatora Gardens for Asiad
1982. Some experts suggested certain
modifications to strengthen the roof structure;
but, it was considered hazardous, to accept
them without thoroughly re-checking the
same. Such an exercise would have taken a
minimum of three to six months- and, during
this period the work of construction would
have remained suspended. As swimming is a
mandatory sport and no chances could be
taken with the timely completion of the
Swimming Pool Complex, the matter was
carefully considered in all its aspects by